# उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
# ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 126/2023–24 दिनांक : 25.09.2023

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र कुकरेती
(न्यायिक सदस्य)

श्री नवीन चन्द्र तिवारी
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती ममता विश्वास पत्नी श्री अरविन्द सुमन, परिवादी
जगतपुरा,रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

## निर्णय

परिवादिनी श्रीमती ममता विश्वास पत्नी श्री अरविन्द सुमन का एक शिकायती पत्र दिनांक 03.08.2023 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–891B127130021 (01 किलोवाट घरेलू) पर लगा विद्युत मीटर तेज चल रहा है जिस कारण उनका विद्युत बिल बहुत अधिक आ रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर लगे विद्युत मीटर को बदलवाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 03.08.2023 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 11.08.2023 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 22.08.2023 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 22.08.2023, 04.09.2023 व 25.09.2023 को परिवादिनी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता ने अपने पत्र संख्या–3440 दिनांक 22.09.2023 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के परिसर पर लगे विद्युत मीटर की जांच करने

क्रमशः 2.....

पर परिवादिनी का विद्युत मीटर सही पाया गया। साथ ही उक्त विद्युत संयोजन के सापेक्ष चैक मीटर हेतु भी पंजीकृत किया गया था जिसके सापेक्ष परिवादिनी के परिसर पर दिनांक 30.08.2023 को सीलिंग सं0 06 / 00450 विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला रूद्रपुर के माध्यम से चैक मापक सं0 788625 स्थापित किया गया तथा चैक मापक दिनांक 21.09.2023 को फाइनल किया गया जिसमें परिवादिनी का पुराना विद्युत मापक (मापक सं0 78178233) सही पाया गया। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप परिवादिनी के विद्युत मीटर सम्बन्धी चैक मापक रिपोर्ट एवं कंज्यूमर बिलिंग की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादिनी की शिकायत पर विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी परिसर पर दिनांक 30.08.2023 को चैक मापक स्थापित किया गया तथा दिनांक 21.09.2023 को चैक मापक फाइनल किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध चैक मापक रिपोर्ट के अनुसार परिवादिनी का पुराना / मुख्य मीटर सही चलता पाया गया। नियमानुसार सही मीटर में अंकित रीडिंग के आधार पर प्रेषित बिल पर परिवादिनी की देयता बनती है। अतः परिवादिनी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

## आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

25/09/2023 25/09/2023

| (रमेश चन्द्र कुकरेती) | (नवीन चन्द्र तिवारी) | (सुभाष चन्द्र भट्ट) |
|---|---|---|
| न्यायिक सदस्य | तकनीकी सदस्य | उपभोक्ता सदस्य |